एनएसटीएफडीसी की सीएसआर नीति

1.0 पृष्ठभूमि

1.1. कंपनी अधिनियम, 1956 (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) की धारा 25 के तहत नेशनल नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कोरपोरेशन (एनएसटीएफडीसी) को अप्रैल, 2001 में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु ''लाभ न कमाने वाली कंपनी'' के रूप में सरकारी कंपनी में शामिल किए जाने का लाइसेंस दिया गया था। एनएसटीएफडीसी जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के स्वामित्व में एक उपक्रम है।

1.2. सीएसआर से संबंधित व्यापक दिशा निर्देश और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वित्त वर्ष के दौरान रू. 1000 करोड़ का सालाना कारोबार या 500 करोड़ रू. के निवल मूल्य या उससे अधिक या रू. 5 करोड़ या उससे अधिक का शुद्ध लाभ या उससे अधिक अर्जित करने वाली कंपनियों पर सीएसआर प्रावधान लागू होंगे। ये नए नियम वित्त वर्ष 2014-15 से लागू हैं, जिसमें बोर्ड के सदस्यों को मिलाकर सीएसआर समिति गठित की जानी अपेक्षित है। उक्त सीएसआर समिति, सीएसआर गतिविधियों की एक विस्तृत योजना तैयार करने हेतु जिम्मेदार होगी, जिसमें व्यय के संबंध में निर्णय, आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के प्रकार, संबंधित व्यक्तियों की भूमिका और जिम्मेदारी, निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र आदि शामिल हैं। सीएसआर समिति को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से कंपनी को उपार्जित सभी आय सीएसआर राशि कोष में ही जमा हो रहा है ।

2.0 विजन

अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से एनएसटीएफडीसी अनुसूचित जनजातियों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाते हुए उनके आर्थिक विकास में योगदान देता रहेगा।

3.0 उद्देश्य

- अनुसूचित जनजातियों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना।
- अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में व्यापक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण अनुसूचित जनजाति उद्यमिता को विकसित करना ।
- अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास के अवसर प्रदान करना।
- अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विकास की गतिविधियों को पूरक बनाने एवं समर्थन देने के लिए अन्य संगठनों के सीएसआर कार्यक्रमों को सरेखित करना।

4.0 बोर्ड की सीएसआर समिति

संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य के मंत्रालय, सीएसआर समिति के अध्यक्ष और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनएसटीएफडीसी तथा ट्राईफेड के कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य होंगे।

5.0 <u>संसाधन</u>

5.1. एनएसटीएफडीसी सीएसआर गतिविधियों पर पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान निगम द्वारा किए गए व्यय पर औसत आय का 2% खर्च करेगा।

5.2. किसी खास वर्ष में उपयोग न की गई सीएसआर राशि समाप्त (लैप्स) नहीं होगी। इसके बजाय, इसे केवल अगले वर्ष की सीएसआर गतिविधियों हेतु अग्रेनीत कर दी जाएगी।

6.0 **<u>ध्यानाकर्षण (फोकस) के क्षेत्र</u>**

कंपनी अधिनियम,2013 की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत चिह्नित सेक्टर में एनएसटीएफडीसी, निम्नलिखित क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाओं को निम्न विशेष फोकस डालते हुए क्रियान्वित करेगा:-

<u>स्वास्थ्य</u>

- अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल वैन और एंबुलेंस वेन दान में देना।

<u>शिक्षा</u>

- अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाए जा रहे विद्यालयों का विस्तार और उनमें बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता ।
- अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद एवं मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव ।

<u>रोजी - रोटी (आजीविका)</u>

- अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को प्रशिक्षण और समर्थन देना ।
- अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देना।

<u>अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का विकास</u>

- आवास, पेयजल, स्वच्छता, नवीकरणीय ऊर्जा और आजीविका के साधन उपलब्ध कराकर अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का सशक्तिकरण।

7.0 **<u>क्रियान्वयन</u>**

7.1. कंपनी अधिनियम, 2013 की सातवीं अनुसूची के दायरे में परिभाषित सीएसआर कार्यक्रम में एनएसटीएफडीसी द्वारा उल्लिखित सूचीबद्ध मदों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

7.2. सीएसआर के अधिकांश कार्यक्रम आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लागू किए जाएंगे।

7.3. सीएसआर गतिविधियां-पंजीकृत ट्रस्ट, समितियों , कंपनियों, स्वायत्तशासी निकायों और सरकारी विभागों सहित विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से चलाई जाएंगी। यदि गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट/ निजी कंपनियां हो, तो इस तरह की परियोजना या कार्यक्रम करने का उनका 3 साल का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड आवश्यक होगा।

7.4. अन्य निगमों के साथ सहभागिता करने पर संसाधन या विशेषज्ञता आएगी, जिससे कंपनी की सीएसआर पहल कई गुना बढ जाएगी।

8.0 जांच और प्रतिक्रिया (फीडबैक)

चलाए गए सीएसआर कार्यक्रमों के प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मासिक/ त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, स्थल का दौरा और फोटो, फिल्म और वीडियो सहित दस्तावेज के सबूत इस्तेमाल किए जाएंगे।

9.0 रिपोर्टिंग

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र के अनुसार एनएसटीएफडीसी द्वारा कार्यान्वित सीएसआर नीति और कार्यक्रमों के बारे में विवरण की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वित्त वर्ष की, निदेशक मंडल की 'रिपोर्ट में शामिल की जाएगी। यदि कुछ कारणों से, एनएसटीएफडीसी सीएसआर पर पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्ष के औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च करने में विफल रहा, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (O) के अंतर्गत उनके कारण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे।

10.0 सामान्य प्रावधान

10.1. सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम से होने वाले अधिशेष, निगम की आय का हिस्सा नहीं होंगे।

10.2. सीएसआर धनराशि के माध्यम से किसी राजनीतिक दल को अंशदान नहीं दिया जाएगा।

10.3. एनएसटीएफडीसी के कार्मिकों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने वाली सीएसआर परियोजनाओं/ कार्यक्रमों को कंपनी अधिनियम, 2015 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के रूप में नहीं माना जाएगा।

10.4. निगम के पास इस नीति के किसी प्रावधान में संशोधन, हटाने तथा परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित है।

10.5. नियमावली के बारे में व्याख्या देने एवं लागू कराने का अधिकार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएसटीएफडीसी के पास है, जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएसटीएफडीसी किसी पूरक नियमों / आदेशों बनाने के लिए भी सशक्त हैं।

* * * * *